



ऑन लाईन नं. RCMS2020/00118

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 30/2020

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री धीरज अरोड़ा पुत्र श्री अमरचन्द अरोड़ा
मै० वधवा कन्फेक्शनरी एवं किराना, सब्जी मण्डी, सादुलशहर –जिला श्रीगंगानगर।
निवासी :- वार्ड नम्बर 20, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

–नमूना विक्रेता–

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा (2)(5)/58 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 20.10.2020

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.03.2020 को दोपहर बाद 3.00 बजे श्री प्रवीण खत्री, वरिष्ठ सहायक (यू.डी.सी.) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ मैसर्स वधवा कन्फेक्शनरी एवं किराना, सब्जी मण्डी, सादुलशहर— जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर धीरज अरोड़ा पुत्र श्री अमरचन्द अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 20, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त फर्म का निरीक्षण किया तो वहां रखी प्लास्टिक की 10 केनों में लगभग 180 किलोग्राम **Mustard Oil (Loose)** खुला अर्थात् बिना लेबल एवं पैकिंग के आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जॉच **K-1038** के नमूनीकरण के लिये 1.6 किग्रा **Mustard Oil (Loose)** खरीदा जिसकी कीमत 144/-रु० (अखरे रूपये एक सौ चौमालीस मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा गवाहान श्री प्रवीण खत्री एवं श्री रोशनलाल के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।



amp.
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता धीरज अरोड़ा पुत्र श्री अमरचन्द अरोड़ा एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **Mustard Oil (Loose)** को बराबर बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर उनके ढक्कनों को कसकर बंद किया एवं टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागो पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1038** एवं अन्य विवरण दर्ज किया। प्रत्येक नमूना कोड पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **K-1038** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4-4 जगह मोडकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/ 686/एक्ट/ 2020/757 दिनांक 17.04.2020 नमूना **K-1038 Mustard Oil (Loose)** अमानक स्तर **FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 No.2.3.15(1)(b) का Contravention** होना पाया गया है। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त धीरज अरोड़ा पुत्र श्री अमरचन्द अरोड़ा, निवासी वार्ड नम्बर 20, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mustard Oil (Loose)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(5)/58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी अपनी दुकान मैसर्स वधवा कनफेक्शनरी एवं किराना दुकान, सब्जी मण्डी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 21.09.2020 का दिया गया है कि आपकी दुकान में **Mustard Oil (Loose)** का सैम्पल भ्रूया गया जिसकी आपके विभाग द्वारा जांच की गई तो आपकी लेबोरेटरी द्वारा उसका सैम्पल पास हो गया है लेकिन मुझ प्रार्थी को यह पता नहीं था कि **Mustard Oil (Loose)** बेचा नहीं जा सकता है। प्रार्थी ने जानबूझकर गलती नहीं की गई है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।



amp
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mustard Oil (Loose)** का सैम्पल के-1038 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/ 686/एक्ट/ 2020/757 दिनांक 17.04.2020 द्वारा **FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 No.2.3.15(1)(b)** का **Contravention** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26 (2)(5)/58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी अपनी दुकान मैसर्स वधवा कनफेक्शनरी एवं किराना दुकान, सब्जी मण्डी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 21.09.2020 का दिया गया है कि आपकी दुकान में **Mustard Oil (Loose)** का सैम्पल भरा गया जिसकी आपके विभाग द्वारा जांच की गई तो आपकी लेबोरेटरी द्वारा उसका सैम्पल पास हो गया है लेकिन मुझ प्रार्थी को यह पता नहीं था कि **Mustard Oil (Loose)** बेचा नहीं जा सकता है। प्रार्थी ने जानबूझकर गलती नहीं की गई है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 17.04.2020 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 2(5)/58 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **Mustard Oil (Loose)** विक्रेता एफएसएसए-2006 की धारा 31(1) की श्रेणी में आता है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त धीरज अरोड़ा पुत्र श्री अमरचन्द अरोड़ा नमूना विक्रेता -पर **FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 No.2.3.15(1)(b)** का **Contravention** के तहत **Mustard Oil (Loose)** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(5)/58 के तहत 25,000/-रुपये (अखरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Mustard Oil (Loose)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।



amp
आत.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं. RCMS2020/00118

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में **Mustard Oil (Loose)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



amp.

(डा. गुजन सोनी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
श्रीगगानगर।